

विषयक,

पार्थ सारथी सेन शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक(मा0),
उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-8

फरवरी
लखनऊ : दिनांक 04 जनवरी, 2026

विषय:- माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों तथा स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को कैंशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों (व्यवसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों एवं मानदेय शिक्षकों सहित), संस्कृत शिक्षा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों (मानदेय शिक्षकों सहित) एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं संस्कृत शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त स्ववित्तपोषित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत व्यवसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षण कार्य में अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं रचनात्मक योगदान दिया जाता है किन्तु उन्हें चिकित्सा प्रतिपूर्ति की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके कारण उक्त शिक्षकों द्वारा अपने एवं आश्रितों की चिकित्सा की समुचित व्यवस्था कर पाना सम्भव नहीं हो पाता है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर उक्त वर्णित शिक्षकों द्वारा किये जा रहे शिक्षण कार्य के दृष्टिगत उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु शिक्षकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को सरकारी चिकित्सालयों के अलावा निजी चिकित्सालयों में भी उपचार की सुविधा अनुमन्य कराये जाने की मांग शासन से की जाती रही है। ज्ञातव्य है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की भांति चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा पूर्व से ही उपलब्ध है। अतएव मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 05 सितम्बर, 2025 को शिक्षक दिवस के अवसर पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के कतिपय शिक्षकों इत्यादि को कैंशलेस सुविधा प्रदान करने के संबंध में घोषणा की गयी है।

2- उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों (व्यवसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों एवं मानदेय शिक्षकों सहित), संस्कृत शिक्षा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों (मानदेय शिक्षकों सहित) एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं संस्कृत शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त स्ववित्तपोषित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत व्यवसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त शिक्षकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को सरकारी चिकित्सालयों के अलावा निजी चिकित्सालयों में भी आई0पी0डी0 (अंतर्रांगी विभाग) उपचार की कैंशलेस सुविधा की अनुमन्यता निम्नवत प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

- (1) माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत उपर्युक्त शिक्षकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैंशलेस सुविधा अनुमन्य कराये जाने में प्रति शिक्षक रु0 3000/- वार्षिक प्रीमियम अनुमानित है। योजना के क्रियान्वयन हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा वास्तविक व्ययभार के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (2) उक्त कैंशलेस उपचार सुविधा योजना का क्रियान्वयन स्टेट एंजेसी फार कमप्रेहेन्सिव हेल्थ एण्ड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) के माध्यम से कराया जायेगा। उक्त सुविधा राजकीय चिकित्सालयों तथा साचीज के साथ सम्बद्ध निजी चिकित्सालयों में अनुमन्य होगी, जिसकी दरें वही होंगी जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA) द्वारा समय-समय पर संसूचित की जायेंगी।

- (3) उपर्युक्तानुसार प्रस्तावित कैशलेस उपचार सुविधा के अन्तर्गत प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों (व्यवसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञ एवं मानदेय शिक्षक सहित), संस्कृत शिक्षा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों (मानदेय शिक्षक सहित) एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं संस्कृत शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त स्ववित्तपोषित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत व्यवसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञ शिक्षक एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्य लाभार्थी होंगे।
- (4) उक्त लाभार्थियों एवं उनके परिवारों का पूर्ण विवरण/डाटा माध्यमिक शिक्षा विभाग के नामित नोडल अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष 30 जून तक कैशलेस चिकित्सा योजना सुविधा हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज को उपलब्ध कराया जायेगा ताकि पात्र लाभार्थियों एवं परिवारों को इसका लाभ दिये जाने हेतु कैशलेस चिकित्सा योजना में उन्हें सम्मिलित अथवा विलोपित करते हुए कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना का लाभ दिया जा सके।
- (5) चूंकि वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों का कोई प्राधिकृत आंकड़ा विभाग के पास उपलब्ध नहीं होता है। अतः योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों के चिन्हांकन के लिये पृथक से कार्यकारी आदेश निर्गत किया जायेगा।
- (6) उपरोक्त लोगों में से, जो पूर्व से ही केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अन्य स्वास्थ्य योजना (यथा- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना/मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान आदि) से आच्छादित हैं उन्हें इस योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

3- कृपया उपर्युक्तानुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
- (2) अपर मुख्य सचिव, वित्त/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (3) प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- (4) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0/समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0। (द्वारा शिक्षा निदेशक)
- (5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुष्मान भारत, स्टेट एजेंसी फॉर कम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एण्ड इंटीग्रेटेड सर्विसेज(साचीज), लखनऊ। (द्वारा शिक्षा निदेशक)
- (6) वित्त नियंत्रक, माध्यमिक, शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज, उ0प्र0।
- (7) अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।
- (8) सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज/सचिव, उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ।
- (9) समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0। (द्वारा शिक्षा निदेशक)
- (10) उप शिक्षा निदेशक, संस्कृत/उप शिक्षा निदेशक, व्यावसायिक, उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ।
- (11) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0। (द्वारा शिक्षा निदेशक)
- (12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश चन्द्र)
निशेष सचिव।